न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 22/2025 GCMS No.—2025/42

बाबूलाल पुत्र घासीनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बस्सी दिनांक 20.01.2025 अर्न्तगत प्रकरण संख्या 61/2024 उनवानी सरकार बनाम बाबूलाल

उपस्थितः–

1. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांक 08.06.2026

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार बस्सी ने अपने निर्णय दिनांक 20.01.2024 प्रकरण संख्या 61/2024 बउनवानी सरकार बनाम बाबूलाल द्वारा अपीलांट द्वारा ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी स्थित आराजी खसरा नम्बर 156/3 रकबा 0.3667 हैक्टेयर भूमि पर किस्म गै0मु0तलाई में 400 वर्गफीट भूमि पर पुख्ता निर्माण कार्य गोबर डालकर कब्जा/ अतिक्रमण किये जाने के कारण, अपीलांट को अतिचारी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करने, वार्षिक लगान की 0.42 रूपये का 50 गुना 21 रूपये बतौर शास्ति आरोपित कर अतिक्रमी अपीलांट को मौके से बेदखल करने के आदेश दिये गये। अपीलांट ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध पारित किया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का जटवाडा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को नोटिस जारी किये गये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली कब दर्ज रजिस्टर हुई जिसका कोई अंकन नहीं है, ना ही अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कोई नोटिस प्राप्त हुये। दिनांक 14.02.2025 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को ज्ञात हुआ कि अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित हुये है जिसके व्यथित होकर अपीलांट ने अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पिता घासीनाथ जोगी के नाम से ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा मिसल संख्या 2 पट्टा संख्या 14 दायर दिनांक 22.06.2009 द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया एवं अपीलांट उसी पर एवं अपनी पुराने कब्जेशुदा आबादी भूमि पर ही काबिज है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही गलत रिपोर्ट तैयार कर दी गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट की पट्टेशुदा भूमि के संबंध में बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह रिकॉर्ड पेश नहीं था कि अपीलांट ने खसरा नंबर 156/3 की भूमि पर किस स्थान पर कितनी नाप पर अतिक्रमण किया। पटवारी ने द्वेषतावश गांव की राजनैतिक रंजिशवश अपीलांट के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट पेश की इसलिए उक्त स्थिति में अपीलाधीन निर्णय कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने अपने पट्टेशुदा एवं कब्जेशुदा आबादी भूमि पर काबिज है एवं उस पर ही अपीलांट का निर्माण है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से खसरा नंबर 156/3 व अपीलांट की कब्जेशुदा एवं पट्टेशुदा भूमि का कोई सीमा ज्ञान नहीं करवाया गया बल्कि लोगो के कहने के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी एवं पटवारी हल्का द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्रोपर सीमा ज्ञान के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट अपनी पट्टेशुदा भूमि पर ही काबिज है तथा अपीलांट को कब्जा एवं निर्माण आबादी भूमि पर ही है एवं खसरा नंबर 156/3 की भूमि में उसका कोई निर्माण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपने क्षेत्राधिकार व विवेकाधिकार का अनाधिकृत प्रयोग किया है। इस कारण पारित किया गया निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बस्सी के प्रकरण संख्या 61/24 उनवानी सरकार बनाम बाबूलाल में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2025 को निरस्त किये जाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट ने गै0मु0तलाई भूमि पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किस्म गै0मु0तलाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर गै0 मु0 तलाई भूमि पर अतिक्रमण होने से अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश दिनांक 20.01.2025 को अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का भी

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अवलोकन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी स्थित भूमि खसरा नम्बर 156/3 रकबा 0.3667 हैक्टेयर किस्म गै.मु.तलाई में रकबा 400 वर्गफीट पर पुख्ता निर्माण कार्य गोबर डालकर अतिक्रमण किये जाने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया एवं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.01.2025 द्वारा अपीलांट को बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांट ग्राम जटवाडा स्थित भूमि खसरा नंबर 156/3 पर कोई अतिचार नहीं किया गया है एवं ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा अपने पिता को जारी पट्टेशुदा आबादी भूमि पर ही अपीलांट काबिज है। न्यायालय हाजा को आबादी भूमि पर हक, अधिकार तय करने बाबत क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं है यदि अपीलांट के विरूद्ध उसकी पट्टेशुदा आबादी भूमि पर किसी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही की जाती है तो वे सक्षम स्तर पर चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी स्थित अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 156/3 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार गै. मु. तलाई के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं गै.मु. तलाई भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गै.मु.तलाई पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार आदेश दिनांक 20.01.2025 पारित किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर